हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाहन आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

25.08.2017/1100/NS/HK/1

अध्यक्षः प्रश्नकाल आरम्भ, ..(व्यवधान)... श्री सुरेश भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण दो ईश्यूज़ पर हमने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिसिज़ दे रखे हैं। ..(व्यवधान)...वे खत्म नहीं होते हैं।

अध्यक्षः उस पर कल चर्चा हो गई है। ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाजः सदन के नेता मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ सी0बी0आई0 ने कोर्ट में चार्ज़शीट दाखिल की है। ..(व्यवधान)... और मुख्य मंत्री महोदय जमानत पर हैं।

अध्यक्षः कल चर्चा हो चुकी है। ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाजः भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। इसके ऊपर हमने (विपक्ष) चर्चा मांगी है और अभी तक हमारे नोटिस का जबाव नहीं आया है। ..(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय धूमल जी ने चर्चा कर ली है। ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ़ सी0बी0आई0 ने चार्ज़शीट कोर्ट में दाखिल की है और कोर्ट ने इनको ज़मानत दी है। हमारा मानना है कि सारे हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है और जब मुख्य मंत्री जी ही ज़मानत पर हों तो फिर प्रदेश की सरकार कैसे चल सकती है? ..(व्यवधान)...

अध्यक्षः यह मैटर सब-ज्यूडिस है। हम इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। ..(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, सदन को हक है कि हम इस विषय पर चर्चा करें। इसलिए हमने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्षः यह सब-ज्यूडिस केस है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे और नियम-67 पर चर्चा कल हो चुकी है। ..(व्यवधान)...

25.08.2017/1100/NS/HK/2

श्री सुरेश भारद्वाजः दूसरा, सी0बी0आई0 ने कोर्ट में कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गुड़िया कांड में सी0बी0आई0 की सहायता नहीं कर रही है और उनकी जांच में अड़ंगे अड़ा रही है। ..(व्यवधान)... यह सरकार पहले भी अपराधियों को पनाह देती रही है। ..(व्यवधान)... सी0बी0आई0 ने कोर्ट में कहा है। ..(व्यवधान)... इसलिए इसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्षः यह कोर्ट मैटर है और हम कोर्ट मैटर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप बोलिए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मेरे इनिशिएटिव से ही गुड़िया केस सी0बी0आई0 को भेजा गया है। मैंने इस केस के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। गृह मंत्री जी से मैंने स्वयं टेलीफोन पर बात की। उसके उपरांत यह मुकद्दमा सी0बी0आई0 को दिया है। सी0बी0आई0 जो भी मदद चाहती है वह हम उनको देते हैं। We are very keen that this case should be investigated properly and the culprits should be punished. ..(व्यवधान)...

अध्यक्षः अब बात हो गई। ..(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए। मुख्य मंत्री जी ने इस बात पर एक्सप्लेन कर दिया है। यह कोर्ट केस है। It should not be discussed. ..(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा सत्र का अन्तिम दिन है। हम एक-दूसरे का धन्यवाद करके अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में वापिस लौट जाएं ..(व्यवधान)...

अध्यक्षः आप एक मिनट बैठिए। ..(व्यवधान)... आप सभी एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं।

आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

25/08/2017/1105/RKS/HK/1

अध्यक्ष .... जारी

एक समय में एक ही माननीय सदस्य को बोलना चाहिए। आप ऐसा मत कीजिए।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर टिप्पणी की है, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने सी.बी.आई. को केस भेजा। माननीय सदन को पहले यह बताया जाए कि जब 4 तारीख को यह घटना घटी तो 6 तारीख सायं तक एफ.आई. आर. दर्ज़ क्यों नहीं हुई? तीन दिन तक प्रदेश सरकार, प्रदेश का प्रशासन और पुलिस विभाग गुड़िया प्रकरण में क्या करता रहा?

Speaker: Not to be recorded. यह गलत बात है। जो केस सी.बी.आई. के पास चला गया है उसको आप यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। You can't do it. यह गलत बात है।

मुख्य मंत्रीः आप सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र सिंह जी आप इन केसिज़ को डिस्कस मत कीजिए। जो केसिज सी.बी.आई. के पास हैं उनकी आप यहां चर्चा मत कीजिए। We can't do it. (व्यवधान)... क्या आप यहीं फैसला करेंगे, आप कोर्ट को फैसला नहीं करने देंगे? We can't discuss it.

मुख्य मंत्रीः यह झूठ है। What you are saying is total lies and distortions. I accuse you of spreading lies and distortions. अध्यक्ष महोदय, मैं यहां गुडिया हत्या मामले के बारे में बताना चाहता हूं।---(Interruption)--- Black bag, black sheep. गुड़िया हत्या मामले में उसी वक्त रिपोर्ट हुई और उसी समय यहां से एस.पी. शिमला फोर्स सहित मौके पर पहुंचें और जो संदिग्ध लोग थे उन्हें उसी दिन गिरफ्तार किया गया।

25/08/2017/1105/RKS/HK/2

अध्यक्षः मैं समझता हूं कि कुछ लोग हाउस के बिज़नैस को चलाने में इंटरस्टिड नहीं हैं, वे नहीं चाहते कि बिज़नैस को पूरा किया जाए। इसलिए मैं इस माननीय सदन की बैठक दोपहर 12.00 बजे तक स्थगित करता हूं।

श्री0 बी0 एस0 द्वारा जारी...

25.08.2017/1215/बीएस/वाईके/1

सदन की बैठक अपराह्न 12.17 बजे पुनः आरम्भ हुई ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आज सत्र का अन्तिम दिन है कृपया आप शांति बनाए रखें। आज सभी लोग खुशी- खुशी अपने घर जाएं और चुनाव की तैयारी शुरू करें। श्री सुरेश भारद्वाज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारी चर्चाओं के लिए नोटिसिज दिए, अभी भी नोटिसिज पेडिंग हैं। उनका कोई निराकरण नहीं हुआ है न ही कोई जवाब आया। हम भी चाहते हैं कि यह सदन सौहार्दपूर्ण ढंग से चले। बहुत सारी चीजें यहां बोली गई उसके लिए हम चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मत्रीं जी कुछ कहें, क्योंकि विधायक जो चुनकरके आते हैं, वे गुंडे और जंगली तो हैं नहीं।

25.08.2017/1215/बीएस/वाईके/2

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि ये सत्र का अंतिम दिन है इसलिए मैं माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज जी और विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया सदन को चलाने में सहयोग करें। यह इस विधान सभा के अंतिम सत्र का अंतिम दिन भी है। श्री गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम आज इस माननीय सदन में हैं, कभी-कभी ही ऐसा पावन मौका मिलता है। हम लोगों को चुनाव के लिए फिल्ड में जाना है। इसके बाद चुनाव है, जनता को फैसला करना है। कौन चुनाव जीतकर आता है, कौन नहीं आता, यह अलग बात है। मेरी ओर से सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं। मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का आभारी हूं

जिन्होंने 5 साल तक सदन का नेतृत्व किया, हमारा मार्गदर्शन किया तथा प्रदेश का संचालन किया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का भी आभारी हूं जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर यहां पर विपक्ष की मांगे रखी क्यांकि लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष से ही चलता है।

श्री डी0टी0 द्वारा .....जारी

25.08.2017/1220/DT/YK-1

श्री सुरेश भारद्वाज...क्रमागत

आपने भी जितना यथासम्भव सहयोग दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी का भी आभारी हूं जिन्होंने 5 वर्ष तक इस महान कुर्सी को सुशोभित किया, हमें मार्गदर्शन दिया और सदन का संचालन किया। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सारे सदन का आभारी हूं कि सदन के संचालन हेतु पक्ष और विपक्ष ने मुझे पूरा सहयोग दिया जिससे कि सदन की कार्यवाही चल सके। क्योंकि हम राजनैतिक पार्टियों के लोग हैं इसलिए विचारों में भिन्नता हो जाती है। आज इस विधान सभा का अंतिम दिन है इसलिए मेरा आग्रह है कि माननीय सदन की उच्च परम्पराओं और गरिमा को देखते हुए, सदन की उच्च परिपाटी को बरकरार रखते हुए, मन की कटुता दूर करते हुए हम सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ यहां से जायें। इस विधान सभा के अन्तिम सत्र के अन्तिम दिन हमें एक दूसरे से गले मिलना है, प्यार करना है, मोहब्बत करनी है और उसके बाद चुनाव में उतरना है। इस परिपाटी को हम निभा सकें। मेरा विपक्ष से आग्रह है कि कुछ प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाने हैं उसमें आप हमारा सहयोग करें। एक ट्राइबल का बिल वापिस होना है वह बिल वापिस हो सके। एक बिल हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित है, क्योंकि हमारे प्रदेश में डाक्टर्ज की शोर्टेज़ रहती है; बहुत से मैडिकल संस्थान और नर्सिंग संस्थान यहां खुल गये हैं; इसलिए मैडिकल यूनिवर्सिटी का बिल पारित होना है। आपने

हमेशा हमारा सहयोग किया है। आप के सहयोग से ही यह सदन उचित ढंग से चल पाया है। आप इसमें भी हमारा सहयोग करें। सदन के प्रतिवेदन और जो दो महत्वपूर्ण बिल हैं इन पर कार्रवाई के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, का मार्ग दर्शन मिलेगा और हम बहुत ही अच्छे वातावरण के साथ यहां से जाएं। मुझे आपसे यही अपील करनी है।

25.08.2017/1220/DT/AG-2

अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मुझे लगता है कि सत्तापक्ष और विपक्ष की सहमति हो गई है। श्री सुरेश भारद्वाज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आग्रह इस माननीय सदन में रखा है मैं उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही सरकारें चलती है, देश और समाज चलता है। विपक्ष की बात यदि सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग आधा मैंडेट इस प्रदेश की जनता की विपक्ष को है, इसलिए उसकी भावना व्यक्त नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीजों में हमारा मतभेद रहता है। लेकिन मतभेद होते हुए भी हमारा मनभेद नहीं होना चाहिए और यह होता भी नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि यह सैशन का अंतिम दिन है। वैसे भी इस विधान सभा का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है इसलिए हम भी चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण ढंग से विधान सभा के इस सत्र को समाप्त करें। माननीय सदन के नेता, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता, आदरणीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी इन सबका हम बहुत आदर करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं। इन लोगों के परस्पर सहयोग के कारण सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत एफ्र्टस करते रहे, मैं इनके एफ्र्टस को और इनकी एनर्जी को तथा

इनकी जो लोकतन्त्र के प्रति भावना है उसका सम्मान करते हुए हम चाहते है उसके अनुरूप ही सदन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण ढंग से चले।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

25.08.2017/1225/SLS-AG-1

श्री सुरेश भारद्वाज...क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने पिछले 5 वर्षों में सदन का संचालन बखूबी किया है। आपने सभी पक्षों को अपना मत रखने के लिए प्रोत्साहित किया है और उसके लिए काम भी किया है जिसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : आज मुझे लगा कि इस माननीय सदन में तनावरहित वातावरण में बात हो रही है। यह अच्छी बात है कि जब हम यहां से डिपार्ट करें तो खुशी-खुशी करें; एक-दूसरे से गले मिलें और अगली बार पुनः यहां बैठ कर अपना कार्य शुरू करें।

Thank you very much.

25.08.2017/1225/SLS-AG-2

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति इस माननीय सदन के सभा पटल पर रखता हूंः-

1. हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 43 के अन्तर्गत लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश का दसवां (अप्रैल 1, 2014 से मार्च 31, 2015) तथा ग्यारहवां (अप्रैल 1,2015 से मार्च 31, 2016) वार्षिक प्रतिवेदन;

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, निर्वाचन कानूनगो, वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं , भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः5-59/2015-ईएलएन दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.08.2017 को प्रकाशित; और

4. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16.

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री की ओर से कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

25.08.2017/1225/SLS-AG-3

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति इस माननीय सदन के सभा पटल पर रखता हूंः-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जिला नियन्त्रक, खाद्य,

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएफ0डी0एस0-ए(3)-4/2015 दिनांक 28.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2017 को प्रकाशित;

2. बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित);

3. बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2015-16; और

4. हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 21(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण के 16वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16.

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्था अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

25.08.2017/1225/SLS-AG-4

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

1. हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, चल चित्र एवं छाया अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए-(3)-1/2016 दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.07.2017 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर एवं ग्राम योजनाकार, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी0-(बी)2-1/2012(रूल्ज) टी0पी0 दिनांक 17.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.07.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

25.08.2017/1225/SLS-AG-5

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

25.08.2017/1225/SLS-AG-6

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित होंगे तथा सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

अब श्री रविन्द्र सिंह,सभापति, लोक लेखा समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति के 99वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और
2. समिति के 176वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 285वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

25.08.2017/1225/SLS-AG-7

कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 35वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के अष्टम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है;
2. समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 17वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;
3. समिति के नवम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

4. समिति के 7वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है ।

25.08.2017/1225/SLS-AG-8

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

Smt. Asha Kumari: Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy of each of the reports of Public Undertakings Committee :-

1. (समिति का 82वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2015 के ऑडिट पैरा संख्या:3.2 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित से सम्बन्धित है;

2. समिति का 83वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2014 के ऑडिट पैरा संख्या:3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

3. समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से सम्बन्धित है ।

25.08.2017/1225/SLS-AG-9

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति के 17वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
2. समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री राकेश पठानिया, सभापति, जन प्रशासन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

25.08.2017/1225/SLS-AG-10

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 46वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में निहित सिफारिशों पर
2. सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि भू-राजस्व व जिला प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है; और
3. समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित है

जारी... श्री गर्ग ज

25/08/2017/1230/RG/AG/1

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (2017-18) का **28वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है तथा **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

Smt. Asha Kumari: Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy of the reports of Rural Planning Committee :-

i. समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
ii. समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

अध्यक्ष : अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सदस्य, ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ई-गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति (वर्ष 2017-18), के **विशेष प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

25/08/2017/1230/RG/AG/2

<u>विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव :</u>

अध्यक्ष : मैं माननीय सदन को सूचित करता हूं कि सदन के दोनों पक्षों में हुई सहमति के अनुसार 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित तथा पारित किया जाना है तथा 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को वापस लिया जाना है।

अब माननीय मुख्य मंत्री दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को पुरःस्थापित 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को वापस लेने के बारे में प्रस्ताव करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को वापस लिया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को वापस लिया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' को वापस लिया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

'हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22)' वापिस हुआ।

25/08/2017/1230/RG/AG/3

<u>विधायी कार्य</u>

<u>सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना</u>

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)' को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : 'हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

एम.एस. द्वारा अगली मद

25/08/2017/1235/MS/AS/1

<u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।
अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)" पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि प्रदेश में आयुर्विज्ञान की शिक्षा का विस्तार हो रहा है। पहले इस प्रदेश में दो मेडिकल कॉलेजिज थे और तीन केन्द्र की मदद से अब और स्थापित हो रहे हैं। हालांकि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज स्थापित होना था उसमें अभी देरी है। चम्बा वाले मेडिकल कॉलेज को शायद अब स्वीकृति मिल रही है। जब इतना विस्तार होता है जैसे एक आयुर्विज्ञान कॉलेज भी है और नर्सिंग कॉलेजिज भी हैं तो उसके लिए एक अलग से विश्वविद्यालय होना आवश्यक था। इसी महत्व को समझते हुए हमने इस बिल का समर्थन करने का निर्णय लिया है। यह एक ऐतिहासिक बिल होगा। आयुर्विज्ञान का काम मानव जीवन से संबंधित है और मानव जीवन को बचाने के लिए इसमें काम होता है। प्रदेश में उस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए और उसको रेगुलेट करने के लिए निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय काम करेगा। इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं।

25/08/2017/1235/MS/AS/2

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस बिल का हम समर्थन कर रहे हैं। मैं केवल एक बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। जब इस सदन में मेरा प्रश्न लगा था कि क्या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज

जोकि शिमला में बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है और जिसके निकले हुए विद्यार्थी आज हिन्दुस्तान के प्रीमियर संस्थानों में काम कर रहे हैं जैसे एम्ज, दिल्ली में जो डायरेक्टर हैं वे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट हैं तथा पी0जी0आई0 में जो डायरेक्टर हैं वे भी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहे हुए हैं। यह शिमला का प्रेस्टीजियस संस्थान है और अब इसमें नई सुपर स्पेशियलिटी के एक और कैम्प्स का भी शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है तो क्या इस संस्थान को आप ऑटोनोमस रिसर्च इन्स्टीट्यूट के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे? तब माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि "हां" हम बनाएंगे और मेडिकल युनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। अब विधेयक के पार्ट-थ्री में कहा गया है कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक मण्डी या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। प्राइमरिली हमें ऑब्जैक्शन इस बात में भी नहीं है कि इसका मुख्यालय नेरचौक, मण्डी में हो लेकिन शिमला के इस आई0जी0एम0सी0 को प्रीमियर इन्स्टीट्यूट के रूप में, ऑटोनोमस इन्स्टीट्यूट के रूप में, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा नहीं होता है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा---

25.08.2017/1240/जेके/एएस/1

श्री सुरेश भारजद्वाजः--------**जारी**-----

यूनिवर्सिटी में तो आपको स्पैशल बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा लेकिन यदि आप इसको इन्स्टिट्यूट डिक्लेयर कर देंगे तो उससे खर्चा नहीं होगा बल्कि उससे ज्यादा सुविधाएं आम लोगों को, स्टूडैंट्स को और बाकी जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उनको मिल सकेंगी। इस बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस बात पर विचार करें कि आई0जी0एम0सी0 को प्रीमियर इन्स्टिट्यूट ऑटॉनमस पी0जी0आई0 के रूप में बनाएं?

अध्यक्षः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी।

25.08.2017/1240/जेके/एएस/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी का जिन्होंने खुल कर इस बिल का समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो पीछे बजट पेश किया उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हैल्थ साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। उस बजट अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए हमने यह बिल ड्राफ्ट किया है। मैं समझता हूं कि उसमें quality of Medical Education will improve. जितने भी प्राईवेट कॉलेज हैं, चाहे डैंटल कॉलेज हैं, चाहे मैडिकल कॉलेज हैं, वे ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आ जाएंगे। हमारा एक प्राइवेट मैडिकल कॉलेज था वह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ अफ़िलिएटेड था उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बना दी और सुप्रीम कोर्ट से अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज को अफ़िलिएट करवा लिया और हमारी यूनिवर्सिटी से डिटैच हो गया। अब इस बिल के आने से जब यह एक्ट बन जाएगा तो जितने भी प्राइवेट मैडिकल कॉलेज हैं, डैंटल कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं, फॉर्मेसी कॉलेज हैं और जितने भी हैल्थ रिलेटिड इंस्टिट्यूशन्ज़ हैं, ऑटोमेटिकली इस मैडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत आ जाएंगे। जहां तक हेड-क्वार्टर रखने की बात है यह हमारा सौभाग्य है और मैं वीरभद्र सिंह जी की सरकार को इस बात की बधाई देता हूं कि हमारे सिर्फ दो मैडिकल कॉलेज थे, जैसे कि माननीय धूमल साहब ने भी कहा कि अभी हमारे साढ़े चार साल में हिमाचल प्रदेश में तीन नए मैडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं और चौथा मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में अगले अगस्त से हम निश्चित रूप से शुरू करने जा रहे हैं। जो फॉर्मेलिटीज़ फोरैस्ट कंज़र्वेशन एक्ट की हमनें करनी थी वह भी हमने उसमें पूरी कर ली है। निश्चित तौर से जो उसकी बिल्डिंग है उसके बारे में हम कोशिश करेंगें कि उसके टैंडर लगा दिए जाएं। जहां तक हेड-क्वार्टर फिक्स करने की बात है यूनिवर्सिटी

का अपना अलग कॉम्प्लैक्स होता है। यहां आई0जी0एम0सी0 में हमारे पास जगह की कमी है। जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए एक हेक्टेयर भूमि चमियाना में एफ0आर0ए0 के तहत स्वास्थ्य विभाग के नाम की है। सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक वहां पर बनेगा और हम वहां पर स्टेट

25.08.2017/1240/जेके/एएस/3

केंसर हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। वह भी वहां पर बनेगा और समय आने पर हम उस क्षेत्र में डैंटल कॉलेज भी बनाएंगे। जो बाकी दूसरी जमीन है जिसको हम लेना चाहते हैं उसका एफ0सी0ए0 का केस बना करके हम देहरादून भेज रहे हैं। जब वह हमारे पास आ जाएगी तब हमारे पास काफी जमीन उपलब्ध हो जाएगी। जब तक Cabinet in its wisdom decided to have its headquarter at Lal Bahadur Shastri Medical College, Mandi at Ner Chowk, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री मैडिकल कॉलेज ई0एस0आई0 कार्पोरेशन ने जब यू0पी0ए0 की सरकार थी, 12 ई0एस0आई मैडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया जिसमें मण्डी जिला का भी एक मैडिकल कॉलेज शामिल था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जमीन उस वक्त उन्होंने मैडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफर की, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना बना हुआ है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इतना बड़ा बना हुआ है उसमें केवल दो फ्लोर जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए हमने ऑलरेडी ईयरमार्क कर दिये है। उसमें हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा otherwise Mandi is also a centrally located place. बिलासपुर में हमारा एम्ज आने वाला है। हम केन्द्र सरकार से चाहेंगे कि एम्ज की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी करें। जल्दी से जल्दी केबिनैट से इसकी अप्रूवल दिलाएं, जल्दी से जल्दी उसके लिए पैसा मंजूर करें। माननीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसका शिलान्यास करें। उसके लिए भी मैंने बार-बार केन्द्र सरकार और यूनियन हैल्थ मिनिस्टर से अनुरोध किया है इसलिए हैड क्वार्टर मण्डी में सैंटर है। इसके साथ एक चम्बा मैडिकल कॉलेज अटैच होगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

25.08.2017/1245/SS-DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

उसके बाद डॉ राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है। उसके साथ ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज होगा। फिर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है और हिमाचल प्रदेश का आई0जी0एम0सी0 भी उसके अन्तर्गत आ जायेगा। इसलिए मेरे ख्याल में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारद्वाज जी शिमला चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए इनका फर्ज़ है और धर्म भी है कि यह वकालत करें कि यह (विश्वविद्यालय का मुख्यालय) यहां आना चाहिए। लेकिन इसका फैसला पहले ही लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में इसलिए लिया गया है ताकि इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च न करना पड़े और यूनिवर्सिटी को हम जल्दी-से-जल्दी लागू कर दें। जो आपने सुझाव दिया है और बिल का समर्थन किया है इसके लिए मैं आप लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं।

25.08.2017/1245/SS-DC/2

अध्यक्षः श्री जय राम ठाकुर जी।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जो नये मेडिकल कॉलेजिज़ आए हैं, वह स्वागत योग्य कदम है। मैं मंत्री जी के ध्यान में एक-दो चीज़ें लाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बिल के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है। एक तो जो नेरचौक का ई0एस0आई0सी0 मेडिकल कॉलेज पहले था, उसको स्टेट गवर्नमैंट ने ले लिया। उसमें जो एम0ओ0यू0 स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ हुआ है उसमें मुझे लगता है कि जो सीट्स का आबंटन हुआ है उस दृष्टि से प्रदेश को नुकसान हुआ है। उस बात को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि उस मेडिकल कॉलेज में जो अभी तक 100 सीटें हैं उसमें से शायद 30 सीटें सीधी ई0एस0आई0सी0 को चली गई हैं। वह नम्बर काफी ज्यादा है। उसमें प्रदेश का हित नहीं है। ई0एस0आई0सी0 को जो आप सीट्स देते हैं उसमें ऑल इंडिया लेवल का कम्पीटिशन

होता है। अभी भी उसमें सीटें खाली पड़ी हैं। अब वे सीटें स्टेट कोटे में कंवर्ट होंगी लेकिन मुझे लगता है कि एक तो इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। यह प्रदेश के हित का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा आपके माध्यम से मुझे फीस स्ट्रक्चर का विषय माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना है। फीस स्ट्रक्चर में जिस बात का ज़िक्र किया गया कि एम0एम0यू0 मेडिकल कॉलेज है, जो अपने आप में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अधीन नहीं हैं। हमारी अपनी एक यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसके तहत ही हम अपना सारा कामकाज यानी एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर इत्यादि तय करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती है। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है। आपने कुछेक सीट्स ऐसी रखी हैं जोकि मैनेजमैंट कोटे की सीटें हैं। मैनेजमैंट कोटे की सीट्स के संबंध में उनका अपना सिस्टम है। लेकिन उसके साथ-साथ जो आपकी स्टेट कोटे की सीटें हैं, एक तो उनका यह कहना है कि जो टोटल नम्बर ऑफ सीट्स हैं जोकि एलोकेट की गई हैं वह उसमें 25 परसैंट से ज्यादा नहीं देना चाह रहे हैं। जबकि पिछली बार जोर-जबरदस्ती से उसको 50 परसैंट

25.08.2017/1245/SS-DC/3

कर रखा है। वहां पर टोटल 150 सीटें हैं और 75 सीटें स्टेट कोटे के माध्यम से भरी जायेंगी यानी कि उसमें स्टेट की ओर से जो मैरिट होगी उसके आधार पर भरी जायेंगी। उसका फीस स्ट्रक्चर अलग से है और मैनेजमैंट कोटे का फीस स्ट्रक्चर अलग से है। लेकिन जो स्टेट कोटे का फीस स्ट्रक्चर है उसमें एक चीज़ का ज़िक्र है, मुझे लगता है कि उसको देखने की आवश्यकता है। प्रॉस्पैक्टस में भी उसका ज़िक्र किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो बाकी मेडिकल कॉलेज हैं जोकि गवर्नमैंट के अधीन हैं उसमें जो हमारी एन0आर0आई0 की सीट्स खाली रहेंगी, जब उनको भरने की बात आती है तो उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है, वह फीस स्ट्रक्चर उसके साथ जोड़ दिया है। उसके साथ आपने लिंक कर दिया है। जैसे सोलन वाला एम0एम0यू0 मेडिकल कॉलेज है उसका फीस स्ट्रक्चर उसके साथ जोड़ दिया है। अगर वह बढ़ेगा तो हमारे जो गवर्नमैंट सैक्टर में मेडिकल कॉलेजिज़ हैं जोकि गवर्नमैंट के अधीन आते हैं उसमें भी उसको ही फोलो करना पड़ेगा।

जारी श्रीमती के0एस0

25.08.2017/1250/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

उसको देखने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरे दो मुद्दे हैं। एक फीस स्ट्रक्चर वाला जिसको सीधा एम0एम0यू0 के साथ जोड़ दिया गया है उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमैंट का हमारा कॉलेज हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए और उसमें फीस स्ट्रक्चर हमको तय करना है। वह उनके हिसाब से तय नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ-साथ जो एम0ओ0यू0 के माध्यम से नम्बर ऑफ टोटल सीट्स की एलोकेशन हुई है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। उसमें प्रदेश का हित नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया कैडर में बहुत ज्यादा सीटों की संख्या चली गई जो कि ई0एस0आई0सी0 के हिस्से में चली गई। उन्होंने शायद यह दलील दी होगी कि हमने पैसा लगाया है, बिल्डिंग बना कर तैयार कर दी उसके कारण शायद उन्होंने इस बात को रखा होगा। मुझे लगता है कि उसके कारण सीट सीटों की संख्या बहुत ज्यादा उनको चली गई है तो उसको भी स्टेट में कैसे ठीक किया जा सकता है, यह देखने की आवश्यकता है। यह मेरा सुझाव है।

25.08.2017/1250/केएस/डीसी/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट छोटा सा है। जो बात जय राम जी ने कही, यह प्रदेश भर में बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। 9 अगस्त की जो आपकी नोटिफिकेशन है, साढ़े पांच लाख वैसे फीस और रिवाइज़ होगी तो और बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में डिटेल में बात हो गई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन प्रदेश के लोग यह मांग कर रहे हैं कि जब एन0आर0आई0 कोटे में सीट्स नहीं भरी जा रही है तो उसको फिर जैसे

जनरल सीट्स में होता है अर्थात कम फीस में होता है, वह करने के लिए मुझे विश्वास है कि जो आज आपको चारों तरफ से समर्थन मिला है, इसकी गुड विल जैस्चर के तौर पर आप उस फीस को डाउन करेंगें ताकि हिमाचल के होनहार विद्यार्थी एम0बी0बी0एस0 कर सके। गरीब परिवारों के लोगों को राहत देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा आप बिल भी पास करवाओ लेकिन साथ में यह भी वादा करो कि इसको हम रीस्ट्रक्चर करके कम करेंगें।

25.08.2017/1250/केएस/डीसी/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रो0 धूमल जी ने अच्छा सुझाव दिया है। हमने मैडिकल कॉलेज में सिर्फ ई0एस0आई0कॉर्पोरेशन को छोड़कर क्योंकि ई0एस0आई0 कॉर्पोरेशन अपनी सीटें, जो एम0ओ0यू0 उनके साथ हुआ है, अभी ई0एस0आई0 कॉर्पोरेशन ने लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ रुपया वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है और उसमें हमने कुछ उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग की है, हम उनको लगभग 285 करोड़ रुपया जब से कॉलेज शुरू होगा, पांच साल पांच किश्तों में वापिस करेंगें। बाकी जो 12 ई0एस0आई0 कॉलेज प्रदेश के अन्दर खोले हैं, आपने कहा पूरे हिन्दुस्तान से आएंगें, वे उन सभी कॉलेजों में जाएंगें। अभी भी जो ई0एस0आई0 की सीटें थीं, वे आधी से भी कम अभी भरी गई है। जो ई0एस0आई0 की और सीटें नहीं आएंगी तो हम उनको अपनी पेड सीटों में जैसे एन0आर0आई0 के लिए हमने रखा है, एन0आर0आई0 पहले हम लेते थे कि ऑरिजिन एन0आर0आई0 होने चाहिए लेकिन अब तो हम कहते हैं कि sponsored by any NRI, वह भी हमने कर दिया ताकि हमारे लोगों को उसमें बैनिफिट मिले। जहां तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, फीस स्ट्रक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे एन0आर0आई0 की सीट लेना चाहते हैं, हिमाचली हैं, उनके लिए सिर्फ साढ़े पांच लाख रुपये हैं और जो गैर हिमाचली है उनको लगभग 9 लाख रुपये हैं। यही फीस स्ट्रक्चर एम0एम0यू0 के लिए भी हमने निर्धारित किया है। ऐसी बात नहीं है। काउंसलिंग उनकी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में होती है और यहीं से हम अपने लोगों को भी स्पोंसर करते हैं और एजुकेशन कमिशन जो बना है वही फीस स्ट्रक्चर फिक्स करता है। मैडिकल कॉलेज चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए वित्तीय साधन होने भी जरूरी है। मैं तो चाहता था कि सैल्फ फाईनैंस स्कीम के तहत इन मैडिकल कॉलेजों को चलाया जाए लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नहीं हम अपने साधनों से मैडिकल कॉलेज

चलाएंगें तो एक बहुत बड़ा श्रेय हमें जाता है कि अभी दो मैडिकल कॉलेज, एक इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज जिसकी हमने 50 साल होने पर गोल्डन जुबली मनाई और दूसरा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज 1996 में खोला है यह बहुत क्रेडिट की बात है । आजकल हिमाचल प्रदेश में 650 डॉक्टरों की शॉर्टेज़ है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

25.8.2017/1255/av/hk/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री------- जारी

आपने जितने भी असैम्बली क्वैश्चन पूछे हैं उन सबमें शोर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की बात कही है। अब डॉक्टर कहां से लायें? हर मंगलवार को हम डॉक्टर के लिए वॉक इन इन्टरव्यू रखते हैं, जो भी आते हैं या जहां से भी आते हैं हम उनको भर्ती करके अप्वाईंटमैंट दे रहे हैं। पिछले साढ़े चार साल में जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग का ऐक्सपैन्शन हुआ है यह अपने आप में एक रिकार्ड है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ी है, नये-नये प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोले गये हैं। प्राइमरी हैल्थ सैंटरों का दर्जा बढ़ाकर उनको कम्युनिटी हैल्थ सैंटर बनाया और कम्युनिटी हैल्थ सैंटर से सिविल होस्पिटल बनें। सिविल होस्पिटल बनने से अब नेचुरली डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, हमें डॉक्टरों की जरुरत रहेगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : आपने फीस के बारे में कुछ नहीं कहा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : धूमल साहब, फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कह दिया है कि जो एन0आर0आई की सीट्स खाली बची हैं और उनको अगर कोई हिमाचली लेना चाहता है तो सिर्फ साढ़े पांच लाख रुपये फीस रहेगी। गैर-हिमाचली से 9 लाख रुपये वसूल करेंगे। वैसे एन0आर0आई0 सीट का 10 हजार डॉलर देना पड़ता है। इसके अलावा ई0एस0आई0 कार्पोरेशन की जो सीट्स खाली रहेगी उनको भी हम इसी पैटरन पर भरेंगे। अगर हमारे पास कोई गुंजाइश या साधन हुए तो इसमें हम फिर भी कोशिश करेंगे।

युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाईजेशन और इंटरनेशनल एजैंसी इत्यादि दूसरे साधनों से अगर हमारे पास पैसों का प्रबंध होगा तो निश्चित तौर पर हम उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। हमने यह बिल्कुल क्लीयर कर दिया है कि जो ई0एस0आई0 की सीट्स नहीं भरेगी उनको स्टेट कोटे से भरेंगे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है। हम समझते हैं कि हमने यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसका आपने समर्थन किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

25.8.2017/1255/av/hk/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी आप तो बोल चुके हैं। अच्छा बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाईंट के बारे में जानना चाहता हूं। एक तो ई0एस0आई0 में खाली बची टोटल नम्बर ऑफ सीट्स को आप जो स्टेट कोटे में कनवर्ट करके मैरिट बेस पर भरने की बात कर रहे हैं। उसमें भी क्या एन0आर0आई0 की तरह साढ़े पांच लाख रुपये का फी स्ट्रक्चर का फार्मुला ही रहेगा या फिर जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जनरल सीटें भरी गई उस तरह का नामर्ल फी स्ट्रक्चर होगा? अगर आपके पास सूचना है तो कृपया खाली बची टोटल नम्बर ऑफ सीट्स के बारे में भी बताएं। दूसरा मैं यह कह रहा था कि हमारे गवर्नमैंट मैडिकल कालेज के प्रोसपैक्ट्स में इसका रैफरेंस है कि फी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने का निर्णय एक कमेटी करेगी। वह कमेटी एम0एम0यू0 के फी स्ट्रक्चर को फोलो करेगी। (---व्यवधान---) इसका जिक्र है, आप इसको देख लें। मैं यही तो कह रहा हूं, उसको प्राइवेट युनिवर्सिटी के साथ जोड़ने की आवश्यकता क्या है? एम0एम0यू0 वाले पहले ही सुप्रीम कोर्ट में गये हैं। उनकी टोटल नम्बर ऑफ सीट्स में से 75 सीट्स (50 प्रतिशत) जो स्टेट कोटे में आती है उसके लिए भी कहा है कि हमें 75 सीट्स गवर्नमैंट स्टेट कोटे में नहीं देनी है, हम सिर्फ 25 सीट्स देना चाहते हैं। उनका रुख देखकर यह लगता है कि इस मामले को लेकर वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। फी स्ट्रक्चर को रिवाईज करने के लिए आपने जो कमेटी बनाई है उसने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। एम0एम0यू0 सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि जो अभी तक यहां पर फी स्ट्रक्चर रखा है वह पर्याप्त नहीं है। वह सौ प्रतिशत यह मन बनाकर बैठे हैं कि यह फी स्ट्रक्चर रिवाईज हो कर बढ़ेगा। अगर उनका फी स्ट्रक्चर बढ़ता है तो क्या

हिमाचल प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों में एन0आर0आई0 सीट्स को लेकर के जिस साढ़े पांच लाख रुपये फीस का जिक्र आदरणीय धूमल जी ने भी किया, क्या वह भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर एम0एम0यू0 अपने फी स्ट्रक्चर को बढ़ा देती हैं तो क्या गवर्नमैंट कालेज वाले भी उसी स्ट्रक्चर को फोलो करेंगे? प्रोसपैक्ट्स में जो रैफरेंस है उस खामी को ठीक करने की आवश्यकता है और यह एक ज्वलंत मुद्दा है।

25.8.2017/1255/av/hk/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ई0एस0आई0 की सीट नहीं भरी गई है उनको हम स्टेट कोटे से नामर्ल फीस के साथ भरेंगे। जहां तक आप एम0एम0यू0 की बात करते हैं तो यह बिल हमने एम0एम0यू0 को इस युनिवर्सिटी के अंतर्गत करने के लिए लाया है। एम0एम0यू0 अपनी मर्जी से फीस निर्धारित नहीं कर सकता। जो फीस हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी निर्धारित करती थी उसके मुताबिक ही वह लेते थे।

श्री टी सी द्वारा जारी

25.08.2017/टी0सी0वी0/1300/एच0के0/1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी।

अब जब मेडिकल साईंस यूनिवर्सिटी बन जाएगी, इसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी यही निर्धारित करेंगे। सभी सरकारी /प्राइवेट/डेंटल कॉलेजों के लिए प्रोस्पैक्ट्स भी यही यूनिवर्सिटी निर्धारित करेगी और यदि फीस में कभी रिवीजन करना होगा, वह भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज फीस को अपनी मर्ज़ी से रिवाईज़ नहीं कर सकेगा।

25.08.2017/टी0सी0वी0/1300/एच0के0/2

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 62 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43, 44,45,46, 47, 48, 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 और 62 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पारित करने से पहले मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने इन टोटल सीटों में से 7 सीटें 'तिब्बतीयन-गवर्नमेंट-इन-इग्जाइल' के जिन छात्रों ने 'NEET' का इग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनको भी दी है।

25.08.2017/टी0सी0वी0/1300/एच0के0/3

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाये।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 16)" पारित हुआ।

आज सत्र का समापन होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस अवसर पर कुछ बोलें ।

25.08.2017/टी0सी0वी0/1300/एच0के0/4

मुख्य मंत्रीः आज इस माननीय सदन का आखिरी दिन है और उसके बाद नई विधान सभा इलैक्ट होगी। मैं इस विधान सभा में जो कार्यवाही हुई है उसके संचालन में सत्ता पक्ष और

विपक्ष दोनों को बधाई देता हूं, क्योंकि जो भी इस सदन में कामकाज़ हुआ है और बिल पास हुए हैं, उसमें दोनों पक्षों का योगदान रहा है। मैं विपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल साहिब को बधाई देता हूं।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी...

25.08.2017/1305/NS/YK/1

मुख्य मंत्री ----- जारी।

पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। पक्ष के सभी माननीय सदस्यों एवं सहयोगियों को भी बधाई देता हूं। हम इन सबके मिले-जुले प्रयास से ही उपलब्धियां प्राप्त कर सके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं और आपके यहां जो अधिकारियों का पैनल है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नियमों को ध्यान में रखते हुए इस सदन की कार्यवाही को सम्पूर्ण करने में अपना योगदान दिया है। मैं विधान सभा सचिवालय के सारे स्टॉफ को बधाई देता हूं। इन सभी ने यहां रात-दिन बैठकर मेहनत की है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर तक जितने भी अधिकारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इनके सक्रिय सहयोग से ही सरकारें चलती हैं और हमारी सरकार चली है तथा इन सबने नीति-निर्धारण में सरकार को सहयोग दिया है। सत्र के संचालन में इनका बहुत योगदान रहा है और उसे मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूं।। wish them all the best. Thank you Sir.

25.08.2017/1305/NS/YK/2

अध्यक्ष : अब माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी आप बोलिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर अपने उद्‌गार प्रकट किए हैं। आज पांच वर्ष के कार्यकाल का अन्तिम सत्र और सत्र का आखिरी दिन है और यह सौहार्द्धपूर्ण ढंग से खत्म हो, इसके लिए जो प्रयास संसदीय कार्य मंत्री ने

किए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं तथा धन्यवाद करता हूं। लोकतंत्र में चर्चायें बहुत होती हैं। कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है। जैसे कहा भी गया है कि मतभेद होता है इसलिए हम अलग-अलग पार्टियों में होते हैं और सबका अपना-अपना प्वाईंट ऑफ व्यू है। लेकिन जब भी तर्क और टिप्पणियां हो जाती हैं तो उनका उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत तौर पर ठेस पहुंचाने का नहीं होता है बल्कि अपने-अपने विचारों को रखने की बात होती है। इन पांच वर्षों में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं, जब अपनी बुद्धिमत्ता से सारे सदन ने मिलकर सर्वसम्मति से अच्छे निर्णय लिए हैं। इस सदन में कई मौके ऐसे भी आए हैं,जब हमारा टकराव हुआ है और मतभेद रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात लोज़िकल ढंग से रखी है। आज हम यहां से एक नई पारी प्रारम्भ करने के लिए जाएंगे। मैं सरकार को इन पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। विधान सभा सचिवालय के सारे स्टॉफ का धन्यवाद करता हूं। जब सदन शुरू होता है तो अधिकारियों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं मीडिया का भी आभारी हूं कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों के मत को पूरा स्थान दिया है। कहा भी गया है कि "All is well that ends well." आज इस माननीय सदन में अन्तिम दिन में जो अन्तिम निर्णय लिया गया है, वह हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए और संस्था को नियमित करने के लिए लिया गया है। आज इस माननीय सदन में सर्वसम्मति से मैडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। जो कड़वाहट कहीं नारों और टिप्पणियों से आई होगी, आओ हम सब उसको भूलकर एक नई पारी का प्रारम्भ करें। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर लोकतंत्र में मतभेद रहा होगा तो मनभेद न रखें। सबको best of luck. अपना-अपना ज़ोर आज़माईये, ज़नता से आशीर्वाद लीजिए और फिर सब इस माननीय सदन में मिलेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व शुक्रिया।

अध्यक्ष ....आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

25/08/2017/1310/RKS/HK/1

अध्यक्षः इस विधान सभा के सत्र की चार बैठकें आयोजित हुई। इस सत्र के दौरान तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाए गए। इस सभा में 6 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित हुए तथा 3

विधेयक पारित हुए। एक विधेयक को वापिस लिया गया। विधान सभा की समितियों ने भी 50 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज़ों को भी सभापटल पर रखा गया। मैं आप सभी का धन्यवादी हूं कि आपने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं विशेषतौर पर सदन के नेता, श्री वीरभद्र सिंह जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का खासतौर पर धन्यवादी हूं जिन्होंने इस सदन के सुचारू संचालन हेतु अपना सहयोग और मार्गदर्शन दिया। इसके अतिरिक्त मैं सभी माननीय मंत्रियों, विशेषकर संसदीय कार्यमंत्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जगत सिंह नेगी जी तथा सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मैं पत्रकार बन्धुओं व प्रिंट मीडिया का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों व प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही के निष्पादन के लिए दिन-रात सेवाऐं दी, उनका कार्य भी प्रशंसनीय है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं । इससे पूर्व की मैं विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

दिनांकः 25.08.2017 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004. **सचिव।**